3355
18/7/13 vide 5325
22/9/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या–49 / 2013–14

मसोमात राजवती देवी बनाम रामाश्रय सिंह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका मसोमात राजवती देवी जौजे– स्व0 देवनारायण सिंह ग्राम– तरौनी पोस्ट– शुभंकरपुर थाना + अंचल– बहादुरपर जिला– दरभंगा के वाद पत्र दिनांक 16.04.2013 पर दिनांक 17.04.2013 को उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए प्रविष्टि की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में स्वयं आवेदिका के छोटे पुत्र रामाश्रय सिंह, पिता स्व0 देवनारायण सिंह ग्राम– तरौनी पोस्ट– शुभंकरपुर थाना + अंचल– बहादुरपर जिला– दरभंगा हैं।

आवेदिका ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि निम्नांकित ब्योरे की भूमि के साथ जमीन, मकान को विपक्षी हड़प लिया है तथा औने–पौने भाव में बेच रहा और विपक्षी आवेदिका को खाना–खोराकी नहीं देता है तथा जमीन का उपजा भी अपनी दबंगता के बलपर कब्जा कर लेता है, जबकि मौजा– गनीपुर तरौनी की निम्न भूमि आवेदिका की खतियानी सम्पति है जो इनके स्व0 पति के नाम से हाल सर्वे खतियान कायम है और पुराना खतियान इनके स्व0 ससुर के नाम बना हुआ है जिसका वर्ष 2012–13 तक मालगुजारी रसीद आवेदिका प्राप्त करती आई है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा– गनीपुर तरौनी, थाना न0– 280, 282 जिला– दरभंगा

खाता	खेसरा	कुल रकवा बी0–क0–धु0
19(पु0)	225,264,221,155,156,167,275,272, 266,213,210,296,303,384,322,274, 201,281,285,286,85,86,266,320, 321,248,245,246	03–05–02

आवेदिका ने अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी ने इन्हें मार–पीट करके घर से निकाल दिया है जबकि सारी सम्पत्ति इनकी है जिससे ये काफी परेशान हैं।

आवेदिका ने उचित जाँच पडताल करके कागजात सबुत (खतियान एवं मालगुजारी रसीद) के आधार पर अपने पक्ष में फैसला करने का अनुरोध किया है।

20/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदिका ने खतियान एवं मालगुजारी रसीद वर्ष 2012–13 वक की छायाप्रति दाखिल किया है। विपक्षी ने आवेदिका के सभी आरोपों को इन्कार करते हुए कहा है कि आवेदिका बड़े पुत्र के बहकावे में आकर इनके उपर गलत एवं नाजायज रूप से दबाब बना रही है। विपक्षी का कहना है कि आवेदिका के द्वारा लाया गया वाद विधि संगत नहीं है तथा विषय वस्तु भी असली तथ्यों से परे है, अतएव यह वाद चलने के योग्य नहीं बताया गया है तथा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत आवेदिका द्वारा किए गये प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं बल्कि खारिज के लायक होना कहा गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदिका एवं विपक्षी आपस में माँ एवं पुत्र हैं तथा आवेदिका ने जो अपने वाद पत्र में विपक्षी पर आरोप लगाया है उसका निदान इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न विधि के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत संभव है। आवेदिका ने भी अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से किसी अनुतोष की माँग नहीं किया है तथा यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें कितने पुत्र हैं तथा विपक्षी ने किसे एवं कब तथा कितना प्रश्नगत भूमि में से औने–पौने दाम में बेचा है। आवेदिका ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रश्नगत भूमि में विपक्षी को हक–हिस्सा है अथवा नहीं और यदि है तो कितना तथा कितनी भूमि विपक्षी ने बेचा है। आवेदिका द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाया गया आरोप कि ''विपक्षी मारपीट कर घर से निकाल दिया है'' तथा ''खोराकी नहीं देता है एवं घरारी के आवासीय मकान, खेत, बाग–बगीचा पर नहीं जाने देता है एवं जान से मार कर फेंक देने की बात करता है'' संबंधी आरोपों का निदान विधि के अन्य प्रावधानों अन्तर्गत संभव है। साथ हीं आवेदिका का वाद अस्पष्ट होने के कारण पोषनीय प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त अस्पष्टता एवं वाद पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पोषनीय नहीं होने की स्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए वाद को खारीज किया जाता हैं। अभिलेख संचिकास्त करें। लेखापित एवं शुद्धित 20/09/13 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा। 20/09/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	